SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण कमांक 682 / 16

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused-

नाम- सनन् पुत्र रमेश खटीक उम्र 24 साल निवासी वार्ड क05 गोहद

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने घटना दिनांक 04 / 04 / 16 के 20:20स्थान बस स्टैण्ड गोहद में हाथ ठेला लगाया जिससे आवागमन में अवरूद्ध पैदा हुआ।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक्-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed.

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 23/02/17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 34पुलिस अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्त गण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धारा 34 पुलिस अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्त गण को धारा 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 50 / —रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हों।
- प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।

स्थान-भिण्ड

दिनांक- 23/02/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद सही/-

प्रितिष्ठा अवस्थी)
इद

प्रितिष्ठा अवस्थी)
जेएमएकसी गोहद